

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. प्यारचन्द्र पुत्र सवाईराम कुमावत निवासी कारोईकला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सुड़ी पत्नी सवाईराम कुमावत निवासी कारोईकला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लहरी पत्नी हीरा कुमावत निवासी कारोईकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. छोगा लाल गोद पुत्र जगरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोईकला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पुत्र गोमा कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोईकला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. शंकर लाल पुत्र गणेश कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोईकला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. जमना पुत्र गणेश कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोईकला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रामचन्द्र पुत्र गणेश कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोईकला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
8. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय इकाई 6-ए-1, आर0सी0 व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 54, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 18/2016 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 24.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा